राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय में अनुबन्ध आधार पर वाहन उपलब्ध कराये जाने के लिए निविदा प्रपत्र

(क) निविदा का आमंत्रण (invitation to Bid)

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून के कार्यालय (जल जीवन मिशन तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम) हेतु दिनांक 01 अगस्त, 2021 से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न व्यावसायिक वाहनों यथा टाटा जेस्ट, मारुति डिजायर, इनोवा (नॉन ए0सी0 एवं ए0सी0) आदि दैनिक एवं मासिक आधार पर आवश्यकता है।

इच्छुक वाहन स्वामी/फर्म जिनका पंजीयन माल एवं सेवाकर के अन्तर्गत हो, वे निविदा प्रपत्र राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की वेबसाईट–http://swajal.uk.gov.in से Download कर सकते है। इस कार्यालय में **दिनांक 24 जुलाई, 2021 को अपरान्ह 2:30 बजे** तक स्वीकार की जायेगी जो निविदा बाक्स में डाली जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
प्रथम तल दि इन्सटीट्यूशन ऑफ इन्जीनियर्स बिल्डिंग निकट
आई0एस0बी0टी0, देहरादून–248171
उत्तराखण्ड

(ख) निविदादाता को सामान्य निर्देश :–

Requirement for vehicles mention below for office purpose:-

S.No.	Vehicle type	Specifications
1.	Tata Zest (Non AC)	Model 2019 or newer
2.	Tata Zest (AC)	Model 2019 or newer
3.	Maruti Dzire (Non AC)	Model 2019 or newer
4.	Maruti Dzire (AC)	Model 2019 or newer
5.	Innova/Scorpio (AC)	Model 2019 or newer

1. **Bid price**
    a) All duties, taxes and other levies payable on the service shall not be included in the total price.
    b) The rates quoted by the bidder shall be fixed for the duration of the contract and shall not be subject to adjustment on any account.
    c) The prices shall be quoted in Indian Rupees only.

2. Each bidder shall submit only one tender.

3. **Validity of Tender**

Tender shall remain valid for a period not less than 30 days after the deadline date specified for submission.

4. **Evaluation of tender**

The purchaser will evaluate and compare the tenders determined to be substantially responsive i.e. which
(a) Are properly signed;
(b) Conform to the terms and condition and specifications.
(c) Cost of tender and declarations of EMD on the Firm/ Agencies letter Head. (As per GoUK GO No-121/XXVII/21-32/2007TC Dated 29/04/2021)

The tenders would be evaluated separately for each model/brand as mentioned on para-1.

1. For non AC, AC Cars like Tata Zest, Maruti Dzire & Innova and Scorpio only daily rates excluding fuel to be quoted.
2. If monthly rates of vehicles are found lower for different models of different firms, the lowest monthly rates for Tata Zest or Maruti Dzire (Non AC) would be given preference.
   Such identified firm would be negotiated to lower its rate for other categories of vehicles.

If not agreed then only separate Contract would be signed with individual lower firms.

GST in connection with services shall not be taken into account for evaluation.

5. Award of Contract

   The Purchaser will award the Contract to the bidder whose tender has been determined to be substantially responsive and who has offered the lowest evaluated tender price.

   5.1. Notwithstanding the above, the client reserve the right to accept or reject any tender and to cancel the bidding process and reject all tenders at any time prior to the award of contract.
   5.2. The bidder whose bid is accepted will be notified of the award of contract by the Purchaser prior to expiration of the tender validity period. The term of the accepted offer shall be incorporated in the contract order
   5.3. The successful bidder has to sign a contract Rs. 100.00 Stamp paper together with performance security 3% of contract value.
6. Payment shall be made on monthly basis.
7. Other conditions of contract is enclosed as **Annexure-I**
8. You are requested to provide your offer latest by 14.30 hrs on 24th July, 2021.
9. We look forward to receiving your tenders and thank you for your interest in this project.

(B.K. Pandey)
Chief Engineer

(ग) निविदादाता की शर्तें :–

1. प्रारम्भ में मासिक आधार पर कार्यालय के आवश्यकतानुसार टाटा जेस्ट / मारुति, स्विफ्ट डिजायर (ए0सी0 एवं नॉन ए0सी0) एवं इनोवा लिया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में आवश्यकतानुसार वाहनों को मासिक / दैनिक आधार पर अतिरिक्त रुप में योजित किया जा सकता है, परन्तु भुगतान वास्तविक रुप में योजित वाहनों का ही किया जायेगा।
2. निर्धारित मासिक किराये की दरों के अतिरिक्त पेट्रोल / डीजल की कीमत का भुगतान प्रति कि0मी0 की दरों पर पैरा–12 एवं इ के अनुसार देय होगा। रात्रि विश्राम चार्ज (रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक) रु0 150.00 प्रति रात्रि (केवल मासिक आधारित वाहनों हेतु) पृथक से देय होगा जो राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा वहन किया जायेगा।
3. आमंत्रित निविदा के क्रमांक 01 से 05 पर अंकित वाहनों का पंजीकरण माह जनवरी , 2019 से पूर्व का होने पर उनको अनुबन्धित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित होने की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
5. शासनादेश संख्या–121/XXVII/21-32/2007TC Dated 29/04/2021 के क्रम में निविदा के साथ धरोहर धनराशि के सम्बन्ध में फर्म / एजन्सी के लेटर हेड पर घोषणा पत्र सलंग्न कराना अनिवार्य है।
6. वाहन स्वामी द्वारा यदि किसी दिन वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्रतिदिन दी जाने वाली धनराशि का डेढ़ गुणा पैनाल्टी के रूप में विभाग द्वारा धनराशि की कटौती की जायेगी।
7. निविदा के साथ निविदा फार्म शुल्क (निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 500.00 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अर्थात कुल रू0 590.00) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संयुक्त अधिशासी अधिकारी, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के नाम पर बना हो, सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
8. वाहन की मरम्मत / सर्विसिंग आदि के लिए माह के एक दिवस (रविवार अथवा कार्यालय अवकाश) का अवकाश अनुमन्य होगा किन्तु विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु आवकाश के दिनों में भी मासिक आधार पर लिये गये वाहनों को बुलाया जा सकता है, जिसके लिये निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
9. वाहन की उत्तराखण्ड से बाहर भी आवश्यकता होगी। प्रदेश से बाहर की यात्राओं के लिये रोड टैक्स का भुगतान अलग से मूल रसीद उपलब्ध कराये जाने पर विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन की मरम्मत, बीमा तथा चालक का वेतन आदि के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म / एजेन्सी / वाहन स्वामी की होगी।
11. वाहन अन्दर एवं बाहर से पूर्ण स्वच्छ रखना होगा, वाहन में सीट कवर, तौलिया आदि रखना अनिवार्य होगा।
12. अधिकारी के कार्यालय से बाहर यात्रा पर रहने अथवा अवकाश पर रहने की दशा में वाहन चालक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के लेखा अनुभाग मे ंवाहन सहित अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा की दशा में उक्त वाहन के मासिक बिल से आनुपातिक आधार पर प्रति दिवस के आधार पर धनराशि की काटौती कर दी जायेगी।
13. वाहन को मासिक रुप से योजित किये जाने पर अनुबन्धित दर का मासिक किराया एवं निम्न विवरण के अनुरुप प्रयुक्त ईंधन की प्रतिपूर्ति / उपलब्ध करवायी जायेगी:–

S.No.	Vehicle type	Mileage
1.	Tata Zest (Non AC)	17 KM Per Ltr.
2.	Tata Zest (AC)	15 KM Per Ltr.
3.	Maruti Dzire (Non AC)	17 KM Per Ltr.
4.	Maruti Dzire (AC)	15 KM Per Ltr.
5.	Innova/Scorpio (AC)	10 KM Per Ltr.

14. फर्म का PAN एवं माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) रजिस्ट्रेशन संख्या होना आवश्यक है इसके प्रमाण के रुप में स्व प्रमाणित फोटो कॉपी की प्रति उपलब्ध करायें।
15. फर्म / निविदादाता द्वारा विगत दो वर्षों का शासकीय कार्यालयों में वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. फर्म के द्वारा विगत 02 वर्षों का प्रत्येक वर्ष में कुल रु0 12.00 लाख (बारह लाख रुपये) से अधिक प्रति वर्ष का Travel से सम्बन्धित कार्य किया गया हो। प्रमाण के रुप में वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की आयकर रिटर्न एवं ऑडिटर द्वारा सत्यापित बैलेंस–शीट (Income & Expenditure, Loss and Profit Account) की छायाप्रति सलंग्न करनी अनिवार्य है।
17. वहन चालक के पास मोबाईल सुविधा होना अनिवार्य है जो 24 घण्टा चालू हालत में रहेगा, जिससे वाहन चालक से सम्पर्क किया जा सके।
18. अनुबन्धित फर्म उपरोक्त शर्तों के साथ–साथ उन्ही वाहनों को कार्यालय को उपलब्ध करायेगा, जिनका रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटे में हो तथा जिनका रोड टैक्स, फिटनैस एवं बीमा आदि का भुगतान किया गया हो। R.T.O द्वारा वाहन का चालन किया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व ट्रैवल्स एजेन्सी / संचालक / फर्म का होगा।
19. फर्म के नाम अथवा फर्म स्वामी के नाम कम से कम 06 वाहन जो 2019 या इसके पश्चात के हो, होने अनिवार्य है अथवा सम्बन्धित फर्म के साथ पॉवर ऑफ एटर्नी अथवा अनुबन्ध के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु अर्हता रखते हों। अनुबन्ध / पॉवर ऑफ एटर्नी द्वारा प्राप्त वाहनों से सम्बन्धित प्रपत्रों की छायाप्रति सलंग्न करनी अनिवार्य होगी।
20. अनुबन्धित किये जाने वाले वाहनों द्वारा वर्ष 2019 से अनुबन्ध की तिथि तक अधिकतम 50000 कि0मी0 की दूरी तय की गयी हो, उन्हीं वाहनों को कार्यालय में योजित किया जायेगा।
21. यात्रा के मध्य वाहन के परिवर्तन में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर चयनित व्यक्ति / संस्था / फर्म को 01 घण्टे के अन्दर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, ऐसा न करने की स्थिति में उस यात्रा का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म / सेवादाता के बिल से उतनी धनराशि की कटौती कर ली जायेगी, जितनी राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को यात्रा पूरी करने हेतु करना पड़ा हो।
22. न्यूनतम दरों पर चयनित फर्म यदि एक सप्ताह के अन्तर्गत वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहेगी तो फर्म / एजेन्सी / वाहन स्वामी को काली सूची में डाला जायेगा।
23. वाहन चालक के पास वाहन से सम्बन्धित आवश्यक मूल दस्तावेज 24 घण्टे उपलब्ध रहेंगें।
24. निविदादाता के चयनित होने पर अनुबन्ध किये जाने हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर अनुबन्ध हेतु उपलब्ध कराना होगा तथा **अनुबन्ध लागत की 03 प्रतिशत जमानत धनराशि** बैंक गारण्टी / एफ0डी0आर0 जो संयुक्त अधिशासी अधिकारी, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के नाम पर (राष्ट्रीयकृत / शिडयुल्ड बैंक) से जारी की गयी हो, सलंग्न करना अनिवार्य होगा।

25. वाहन प्रतिदिन प्रत्येक समय कार्यालय परिसर में उपलब्ध रखना होगा एवं वाहन को 24 घण्टें आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाया जा सकता है। कार्यालय परिसर में स्थान उपलब्ध न होने की दशा में समस्त वाहन घण्टाघर से 05 कि0मी0 परिधि के अन्तर्गत ही गैराज में खडे करने हेतु दूरी अनुमन्य हो सकेंगी। चालक द्वारा निर्धारित कि0मी0 के अतिरिक्त वाहन उपयोग करने पर अतिरिक्त कि0मी0 का भुगतान नहीं होगा।
26. फर्म को Technical तथा Financial Bid एक ही लिफाफे में दो अलग–अलग बन्द लिफाफों में देनी होगी।
27. आपूर्तिकर्ता फर्म/संचालक द्वारा वाहन की लॉगबुक में प्रत्येक माह वास्तविक कि0मी0 के आधार पर बिल तैयार किया जायेगा तथा प्रत्येक दिवस में वस्तविक चली गयी दूरी एवं स्थान को चालक द्वारा वाहन में उपलब्ध लॉग–बुक में अंकित किया जायेगा तथा इसका सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन किया जायेगा।
28. स–शर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।
29. उपरोक्त में से यदि कोई शर्त पूर्ण नहीं होती है तो निविदादाता की वित्तीय दरों सम्बन्धी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
30. निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त अधिशासी अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को होगा।
31. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय देहरादून मान्य होगा।
32. परियोजना में मासिक आधार पर केवल उन्हीं वाहनों का चयन किया जायेगा, जिनके रजिस्ट्रेशन आदि के प्रपत्रों की छायाप्रतियॉ निविदा के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
33. वाहन किराये के बिलों पर नियमों के अनुसार आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगा।
34. वाहन को किराये पर लिये जाने के उपरान्त किसी भी दशा में वाहन एवं चालक को साधरण परिस्थिति में बदला नहीं जायेगा।
35. मासिक आधार पर लिये जाने वाले वाहनों की संख्या स्वीकृत दर पर कभी भी घटायी अथवा बढायी जा सकती है।
36. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उनके द्वारा पिछले 02 वर्षो में जिन कार्यालयों में वाहन की आपूर्ति की गयी है, में उनका कार्य सन्तोषजनक रहा है तथा असन्तोषजनक सेवा पर किसी भी प्रकार की धनराशि की कटौती नहीं की गयी है।
37. यदि फर्म/एजेन्सी का कार्य सन्तोषजनक रहता है तो अनुबन्ध की समय–सीमा को अगले एक वर्ष के लिये पूर्व निर्धारित दरों एवं शर्तो पर बढाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
38. निविदा प्रकिया में चयनित वाहन स्वामी/फर्म द्वारा अनुबन्ध की अवधि में उपरोक्त शर्तो एवं नियमों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही, जिसमें परियोजना कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, की दशा में अनुबन्ध एक तरफा समाप्त करने का पूर्ण अधिकारी संयुक्त अधिशासी अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन देहरादून में निहित होगा।
39. 01 से अधिक निविदादाताओं की एक समान दरें प्राप्त होने पर निगोशिएशन के आधार पर अनुबन्ध करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता/संयुक्त अधिशासी अधिकारी, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पास सुरक्षित है।
40. वाहन पर तैनात किये जाने वाला चालक वैद्य व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए।
41. वाहन स्वामी/ फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे चालक जो नशे के आदि हो का वाहन पर तैनात नहीं किया जायेगा।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,

प्रथम तल, दि इन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्जिनियर्स बिल्डिगं
निकट आई0एस0बी0टी0, देहरादून–248002
उत्तराखण्ड।

दिनांक 01 अगस्त, 2021 से वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा फार्म मूल्य
रू0 500.00+18% GST= Rs. 590.00

(Technical Bid)

1. फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि : **दिनांक 24 जुलाई, 2021 सायं 2:30 बजे तक**
2. निविदा खोलने की तिथि : **दिनांक 26 जुलाई 2021 सायं 2:30 बजे तक**
3. निविदा जमा करने एवं खोलने का स्थान : **राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून।**
4. निविदा दाता फर्म का नाम : ....
5. पिता का नाम : ....
6. स्थायी निवास तथा पता : ....
7. राज्य वाणिज्यकर पंजीयन संख्या : ....GST N0....................................
8. निविदादाता को सामान्य निर्देश में उल्लिखित प्रकार के वहनों की संख्या व उनके रजिस्ट्रेशन नं0 (जिनका स्वामित्व निविदादाता/ फर्म का हो) के पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट, फिटनेश की छायाप्रतियॉ सलंग्न की जानी अनिवार्य है।
   1. ....
   2. ....
   3. ....
   4. ....
   5. ....
   6. ....
   7. ....
   8. ....
9. शासनादेश संख्या–121/XXVII/21-32/2007TC Dated 29/04/2021 के क्रम में निविदा के साथ धरोहर धनराशि के सम्बन्ध में फर्म/एजन्सी के लेटर हेड पर घोषणा पत्र सलंग्न
10. PAN N0...(स्व–प्रमाणित छायाप्रति सलंग्न की जानी आवश्यक है)
11. GST N0...(स्व–प्रमाणित छायाप्रति सलंग्न की जानी आवश्यक है)
12. वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 19–20 की आयकर रिटर्न की छायाप्रतियॉ।
13. वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 19–20 की ऑडिटर द्वारा सत्यापित बैलेंस–शीट (Income & Expenditure, Loss and Profit Account) की छायाप्रति

निविदा दाता के हस्ताक्षर : ....
प्रतिनिधि का नाम : ....
दूरभाष संख्या : ....
मोबाईल नम्बर : ....

घोषणा पत्र–1

मैं/हम घोषणा करते है कि मैने हमने निविदा प्रपत्र में दिये गये नियमों एवं शर्तो का भली–भांति अध्ययन/परीक्षण कर लिया है, जिस पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये है।

मै/ हम घोषणा करते है कि मैने/ हमारे द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेख/सूचनायें सत्य है।

दिनांक...

वाहन स्वामी के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र–2

मैं/हम घोषणा करते है कि मैं/हम/हमारी फर्म किसी भी शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभाग/ संगठन द्वारा काली सूची (Black List) में दर्ज नहीं है।

दिनांक...

वाहन स्वामी के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र–3

शासनादेश संख्या–121/XXVII/21-32/2007TC Dated 29/04/2021 के क्रम में निविदा के साथ धरोहर धनराशि के सम्बन्ध में घोषणा।

फर्म/एजन्सी के लेटर हेड

मैं/हम घोषणा करते है कि मैं/हम/हमारी फर्म की निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य करने से इन्कार किया जाता है, तो मैं/हम/हमारी फर्म को विभागीय काली सूची में दर्ज कर लिया जाये।

दिनांक...

वाहन स्वामी के हस्ताक्षर

FORMAT OF TENDER
(Financial Bid)
(The bidder has to quote his rate excluding taxes)

S. N.	Vehicle Type	Specification	Without Fuel		Fuel Average
			Monthly Rate	Daily Rate	
1.	Tata Zest (Non AC)	Model 2019 or Newer			
2.	Tata Zest (AC)				
3.	Maruti Dzire (Non AC)				
4.	Maruti Dzire (AC)				
5.	Innova/Scorpio (AC)				

We agree to provide the services of vehicle on hire basis in accordance with the conditions mentioned on tender document & Annexure-I, of bid documents as per monthly and daily basis rate mentioned above.

We hereby certify that we have taken steps to ensure that no person acting for us or on our behalf will engage in bribery.

Signature and Seal of Supplier